न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला (बीकानेर)

वाद सं. :- 75 / 2016

कौर सिंह पुत्र श्री जंग सिंह जाति जटसिक्ख सा. 12 SLW तहसील टिब्बी, हनुमानगढ
इकबाल सिंह पुत्र बसंत सिंह जाति जटसिक्ख सा. 12 SLW तहसील टिब्बी, हनुमानगढ
..... वादीगण

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला ..... प्रतिवादी

==========

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

==========

उपस्थित :- श्री एम.आर.जाखड़ वादी अधिवक्ता
तहसीलदार खाजूवाला

--:: निर्णय ::-- दिनांक :- 25.02.2019

1. वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 PBM के मुरब्बा नम्बर 140/42 में 6.14 बीघा, 140/50 में 16.12 बीघा, 140/26 में 4.10 बीघा व चक 2 PBM के मुरब्बा न. 140/35 में 12.00 बीघा व मुरब्बा नम्बर 140/43 में 6.00 बीघा ; इस प्रकार दोनों चकों में कुल 45.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर MFFR खातेदार के रूप में सुल्तानसिंह पुत्र आसूसिंह कौम राजपूत को सा. रामपुरा के नाम से 22.05.1986 को आवंटन हुई थी, तत्पश्चात् दिनांक 22.05.1992 को उपरोक्त 45.16 बीघा भूमि सुल्तानसिंह से जरिये बैयनामा क्रय करने पर चक 2 PBM के मुरब्बा नम्बर 140/35 के किला नम्बर 1 ता 12 की 12.00 बीघा क./अ.क. व मुरब्बा न. 140/43 के किला न. 1 ता 3 व 8 ता 10 की की 6.00 बीघा अ.क. भूमि ; कुल 18.00 बीघा क./अ.क. भूमि वादीगण के नाम से दर्ज कर दी गई परन्तु चक 1 PBM के मु.न. 140/42 के किला न. 10, 11, 19 ता 23 = 6.14 बीघा, मुरब्बा न. 140/50 के किला न. 4 ता 8, 12 ता 19, 22 ता 25 = 16.12 बीघा व मुरब्बा न. 140/26 = 4.10 बीघा, कुल 27.16 बीघा भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज कर दी गई जो आज दिनांक तक अराजीराज दर्ज है जिसे वादीगण के कब्जे-काश्त, रिकॉर्ड व पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक दुरूस्ती की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

2. तहसीलदार द्वारा बाद तामील लगभग 2 वर्ष तक जवाब पेश नहीं किया गया अतः प्रतिवादी का जवाब बन्द किया जाता है । वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि जवाब प्रतिवादी बन्द होने पर सीपीसी के O-12/R-2A के अनुसार वाद अक्षरशः स्वीकार समझा जाये एवं O-12/R-6 के तहत प्रतिवादी की तरफ से वाद की स्वीकृतियों के मद्यनजर वाद को इसी स्टेज पर निर्णित किया जावे ।

3. वादी द्वारा बहस में वाद के तथ्यों को दोहराया गया । प्रतिवादी द्वारा वाद खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों व वादी के शपथ पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । मूल दस्तावेजों से मिलान किया गया । मनन किया । न्यायालय इस निर्णय पर पँहुचा है कि वादीगण की क्रयशुदा भूमि बगैर किसी सक्षम आदेश के अराजीराज दर्ज की गई है जिसकी वादीगण घोषणात्मक दुरूस्ती व चिरस्थायी निषेद्याज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि इस आशय की घोषणात्मक दुरूस्ती की जावे कि प्रतिवादी पक्षकार तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला बैयनामा दिनांक 25.04.1992 के आधार पर वादीगण के नाम चक 1 PBM के मु.न. 140/42 के किला न. 10, 11, 19 ता 23 = 6.14 बीघा, मुरब्बा न. 140/50 के किला न. 4 ता 8, 12 ता 19, 22 ता 25 = 16.12 बीघा व मुरब्बा न. 140/26 = 4.10 बीघा, कुल 27.16 बीघा ब-हिस्सा-बराबर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामांतरकरण प्रविष्टि कर अमल दरामद करने की कार्यवाही करे एवं इस आशय की चिरस्थायी निषेद्याज्ञा जारी की जाती है कि वादगत भूमि के वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी दखल-अन्दाजी नहीं करे ।

6. कोर्ट रीडर पर्चा डिक्री जारी करे ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)
खाजूवाला

उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (जिला-बीकानेर)